बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

पत्रांक–टी–2/MES–25/2015 650 पटना, दिनांक- 28/08/2017

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन,
नियोजन भवन, बेली रोड, पॉचवा तल–ए वींग,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण कार्य में BSDM पोर्टल से सम्बन्धित परेशानियों के संबंध में।

संदर्भ पत्रांक 04/NULM–02/16–1759/न0वि0एवं आ0वि0 दिनांक– 27.07.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा BSDM पोर्टल से सम्बन्धित परेशानियों के निराकरण की अपेक्षा की गई है। वस्तुस्थिति निम्न प्रकार हैः–

कंडिका –1 बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये User IDs का Password reset करने की Facility नगर एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।

कंडिका– 2 नगर निकायों के Dash Board पर सिर्फ उनके प्रक्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों की सूची दिखाई देगी, ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

कंडिका–3 TOT की पूर्ण जवाबदेही संबंधित SDC की होती है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा TOT में सिर्फ Facilitate किया जाता है। संबंधित SSC के बैच बनाने के मापदंड के अनुरूप पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण हेतु बैच नही बन पाता है, फलतः कुछ पाठ्यक्रम में TOT नहीं प्रारंभ हो रहा है। संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को निदेशित किया जा सकता है कि वे संबंधित SSC के वेवसाईट पर प्रदर्शित Tranning Canlender के अनुसार अपने प्रशिक्षकों को राज्य के बाहर भेज कर TOT करा सकते है।

कंडिका–4 वर्तमान में पोर्टल पर प्रशिक्षकों के Biometric Attendance का प्रावधान नही है। परन्तु इसका प्रावधान किया जा सकता है।

कंडिका–5 लाभार्थियों की उपस्थिति का अनुश्रवण पोर्टल के माध्यम से किये जाने की सुविधा का प्रावधान नगर निकायों/ राज्य स्तर के Login में कर दिया गया है।

कंडिका–6,7 एवं 8 प्रस्तावित सुविधा पूर्व से ही पोर्टल में उपलब्ध है। Excel Format में Download की सुविधा शीघ्र उपलब्ध हो जायेगी।

कंडिका–9 SDCs को डाटा Modify करने की सुविधा प्रधान कर दी गई है।

कंडिका–10 कार्यादेश प्रिंट करने का प्रावधान नगर निकायों के Login में कर दिया गया है कार्यादेश के साथ प्रशिक्षणार्थियों की सूची को भी प्रिन्ट करने का प्रावधान कर दिया गया है।

कंडिका–11 पोर्टल पर संशोधित दर की प्रविष्टी कर दी गई है।

कंडिका–12 DAY-NULM की दिशानिदेश के अनुसार कार्यादेश में 70 प्रतिशत लाभार्थियों के नियोजन का प्रावधान कर दिया गया है।

कंडिका–13 नगर निकायों एवं विभाग को BSDM Support Portal पर टिकट जेनरेशन की सुविधा प्रदान कर दी गई है। समस्या का निष्पादन (Life Cycle) पोर्टल पर राज्य स्तर के Login में प्रदर्शित होने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। SDC के लिये टिकट जेनरेशन की सुविधा शीघ्र ही प्रदान कर दी जायेगी।

कंडिका–14 विभाग की मांग के अनुरूप समय-समय पर यह सुविधा प्रदान की जा रही परन्तु अनुरोध है कि विभाग के द्वारा यथासंभव 1 या 15 तारीख को प्रारंभ होने वाले बैच के लिए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी प्रक्रियायें पूरी कर ली जाये।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

बिहार कौशल विकास मिशन।